

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क० R 1/14-15 निगरानी

निगरानी 2329-I-15

अनार सिंह मृतक वारिसान:-

1-रनवीर सिंह

2-जयवीर सिंह

3-रामवरन सिंह

पुत्रगण अनार सिंह जाति ठाकुर
निवासी ग्राम गोले की गढी मौजा
श्यामपुर कला तहसील पोरसा जिला
मुरैना

.....आवेदक

बनाम

राकेश कुमार पुत्र रामकिशुन जाति
वैश्य निवासी सदर बाजार अम्बाह
तह० अम्बाह जिला मुरैना

.....अनावेदक

निगरानी आदेश विरुद्ध आदेश दिनांक 26/06/2015

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अम्बाह

जिला मुरैना के प्र०क० 70/06-07 अपील/निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

1- यह कि विवादित भूमि के आवेदक गण के पिता अनार सिंह स्वामी व आधिपत्यधारी थे।


2- यह कि विवादित भूमि का अनार सिंह द्वारा अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के हक में बटबारा तहसील पोरसा के प्र०क० 07/05-06× अ/27 में पारित आदेश दिनांक 08/03/2006 द्वारा कर दिया गया। बटबारा दिनांक से आवेदक गण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर कास्त करते चले

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2329-एक/15

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	

3